संख्या-57/2024/।/683617/2024/71-2099/2874/2020

प्रेषक,

कृतिका शर्मा,

विशेष सचिव,

उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,

एस0जी0पी0जी0आई0एम0एस0,

लखनऊ।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-2 लखनऊ : दिनांक 04 जुलाई, 2024

विषय:- संजय गॉधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ के ग्रुप 'ए' एवं ग्रुप 'बी' (पैरामेडिकल) के गैर-संकायी अधिकारियों और कर्मचारियों को अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) नई दिल्ली के सादृश्य हास्पिटल पेशेंट केयर भत्ता स्वीकृत किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-पीजीआई/अधि0//आरएसडी-208/17(वा-3)/343/2023, दिनांक 16.05.2023 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करे, जिसके द्वारा संजय गॉधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ के ग्रुप 'ए' एवं ग्रुप 'बी' (पैरामेडिकल) के गैर-संकायी अधिकारियों और कर्मचारियों को अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) नई दिल्ली के सादृश्य हास्पिटल पेशेंट केयर भत्ता एवं प्रोत्साहन भत्ता स्वीकृत किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि संजय गॉधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ की विनियामावली 2011 के प्रस्तर-74 में विहित व्यवस्था के दृष्टिगत संस्थान के ग्रुप 'ए' एवं ग्रुप 'बी' (पैरामेडिकल) के गैर-संकायी अधिकारियों और कर्मचारियों को अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) नई दिल्ली के सादृश्य निम्न शर्तो के अधीन हास्पिटल पेशेंट केयर भत्ता स्वीकृत किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है:-

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

(क) एस0जी0पी0जी0आई0, लखनऊ के ग्रुप 'ए' एवं ग्रुप 'बी' (पैरामेडिकल) के कार्मिकों को हास्पिटल पेशेंट केयर भत्ता शासनादेश निर्गत किये जाने की तिथि से देय होगा तथा इस हेतु किसी एरियर का भुगतान नहीं किया जाएगा

(ख) 'हास्पिटल पेशेंट केयर भत्ता' की द्वरावृत्ति नहीं की जाएगी अर्थात यदि किसी कार्मिक को यह भत्ता पूर्व से दिया जा रहा है तो अतिरिक्त रूप से यह भत्ता देय नहीं होगा।

3- निदेशक/वित्त अधिकारी, एस0जी0पी0जी0आई0 द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि भत्ते की दर एवं अन्य शर्ते/प्रतिबन्ध तथा प्रक्रिया वही हो, जो अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली में अनुमन्य है।

4- यह आदेश वित्त विभाग के FINRMS सिस्टम द्वारा उत्पन्न संख्या ई-3-46/दस-2024-25 दिनांक 03-07-2024 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहें है।

भवदीय,

(कृतिका शर्मा)
विशेष सचिव।

संख्या-57/2024/।/683617/2024/71-2099/2874/2020, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
2. प्रधान महालेखाकार (सिविल आडिट) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
3. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0 प्रयागराज।
4. महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0।
5. मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, जवाहर भवन/कलेक्ट्रेट लखनऊ।
6. वित्त अधिकारी, संजय गॉधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ।
7. वित्त ई-3/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
8. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(ज्ञानेन्द्र कुमार शुक्ल)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in